संख्या– /XV-2/01(01)/2006

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 04 अक्टूबर, 2013ः

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में डेरी विकास विभाग को आयोजनेत्तर मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1515–16/लेखा/आयोजनेत्तर प्रस्ताव/2013–14, दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–**335/Xv-2/01(01)2006,** दिनांक 17 मई, 2013 तथा अपर मुख्य सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–**668/XXVII(1)/2013,** दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनेत्तर मदों में प्रथम अनुपूरक मांग में निम्नलिखित मदों हेतु कुल स्वीकृत ₹ 25.33 लाख (रूपये पच्चीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ हजार में)

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
01–वेतन	1000
03–महंगाई भत्ता	1000
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
06–अन्य भत्ते	60
09–विद्युत देय	70
13–टेलीफोन पर व्यय	50
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	253
योग–	**2533**

2. निदेशक, डेरी विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से फॉट कर सम्बन्धितों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
3. निदेशक, डेरी द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर व्यय वितरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी0जी.एसन.एन.डी. की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने

6. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
8. व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतनादि मदों में अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31–03–2014 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाय।

2– उक्त पर होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेयरी विकास–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 63 NP/XXVII-4-13, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–882–(01)/XV-2/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ–अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ–अफसर, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तरखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 रौणा)
अनु सचिव।